तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1888/2004/चूरू** **भीखाराम बनाम लादूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री जुगलकिशोर, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 06–12–2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), सुजानगढ़ के वाद संख्या 71/2000 बउनवानी लादूराम बनाम भीखाराम में पारित निर्णय दिनांक 12–04–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् विभाजन एवं घोषणा खातेदारी का विद्वान सहायक कलक्टर सुजानगढ़ के समक्ष आराजी खसरा नं0 81, 87, 90 कुल रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नं0 9, 10, 176, 182 रकबा 37 बीघा का प्रस्तुत किया। दौराने वाद वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् दावा विड्रो किये जाने का प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 12–04–2004 द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर दावा प्रत्याहरण करने की स्वीकृति देते हुए प्रार्थी को क्रोस प्रार्थना पत्र कम जवाब एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को सारहीन होना मानकर खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 12–04–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी/निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादी लादूराम ने प्रतिवादी चन्द्री व रामेश्वरी को गुमराह करके दौराने दावा रिलीज डीड अपने पक्ष में छदम रूप से व कोलीजियन करके करवाई है जो कतई खिलाफ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1888/2004/चूरू</u>** **भीखाराम बनाम लादूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानून व नियम है। सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत दौराने दावा पक्षकारों द्वारा किसी का हक मारकर दस्तावेज पंजीयन करवाया जाता है तो वह लिस्पेडेन्सी ऑफ सूट के सिद्धान्त के आधार पर गलत व गैर कानूनी माना जा सकता है। वादी ने 1/2–1/2 हिस्से का भीखाराम व अपनी दोनों बहनों के विरूद्ध दावा पेश किया तथा दावा में अपना आधा हिस्सा माना है एवं आधा हिस्सा भीखाराम का माना तथा दावे में उक्त तथ्य को लिखा गया है लेकिन बाद में वादी ने दोनों बहनों से अपने हक में रिलीज डीड करवा ली एवं दावे को विड्रो करवा लिया। वादी द्वारा छदम व कोलिसीव तथ्यों पर वाद विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं था क्योंकि दोनों दावें में रिलीज डीड की गई है। इस कारण वाद का निर्णय गुणदोष के आधार पर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूल की है। अन्त में निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, सुजानगढ़ का निर्णय दिनांक 12–4–2004 निरस्त किया जावें। 5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिये कि दावा विड्रो करने की हमारी दरख्वास्त थी जिसे विद्वान सहायक कलक्टर ने स्वीकार किया है। अप्रार्थी अपना दावा कर देवें। आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था तथा क्रोस दावा नहीं था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें। 6– विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुजानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 12–4–2004 में अंकित किया कि प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर दावा प्रत्याहरण करने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादी सं0 1 का क्रोस प्रार्थना पत्र कम जवाब तथा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। 7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी लादूराम द्वारा प्रतिवादी सं0 1 भीखाराम (वर्तमान निगराकार), प्रतिवादी सं0 2 चन्द्री व प्रतिवादी सं0 3 रामेश्वरी के विरूद्ध वाद दायर किया गया जिसमें अनुतोष चाहा गया कि विवादित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 2 व 3 का नाम अंकन सही नहीं है जो हटाकर वादी व प्रतिवादी सं0 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1888/2004/चूरू</u>** **भीखाराम बनाम लादूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8– दिनांक 15–3–2004 को वादी द्वारा उक्त वाद को इसी स्तर पर विड्रा करने की अनुमति प्रदान करने की दरख्वास्त दी गई जिसका प्रतिवादी भीखाराम द्वारा जवाब व क्रास प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी भीखाराम द्वारा दिनांक 25–3–2004 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित आदेश 23 नियम 1 (क) में वादी के रूप में पक्षान्तरित करने की अनुमति प्रदान करने व संशोधित प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् पेश किया गया। 9– आदेश 1 नियम 10 तथा आदेश 23 नियम 1 (क) सी0पी0सी0 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। 10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा स्वयं अपने दावे में प्रतिवादी सं0 1 के लिए भी अनुतोष मांगा गया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद को विड्रा किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 ने आदेश 1 नियम 10 तथा आदेश 23 नियम 1 (क) के तहत वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जाना विधिसम्मत है क्योंकि आवेदक (प्रतिवादी) का कोई ऐसा सारवान प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरूद्ध विनिश्चय किया जाना है। 11– अतः विद्वान सहायक कलक्टर, सुजानगढ़ द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। 12– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी आंशिक स्वीकार कर विद्वान सहायक कलक्टर, सुजानगढ़ का आदेश दिनांक 12–4–2004 इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित आदेश 23 नियम 1 (क) खारिज किया जाता है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित आदेश 23 नियम 1 (क) स्वीकार कर वादी के रूप में पक्षान्तरित करने तथा संशोधित प्रकरण पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 13– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	